



आदेश संख्या

व्यवसाय : उपजिलाधिकारी
आयुक्त (कृषि), कर्मचारी, हरनोई, महोदय : संततपुर
आदेश संख्या :- 00856/2019
कम्प्यूटरीकृत आदेश संख्या :- T201910330500856

महाराज हरिचन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा लखिमुठ हरिचन्द्र विद्यापीठ कृषि उपवास समिति
असन संख्या :- 80, अधिविवरण :- उक्त आदेश संख्या संख्या - 2006

Page 1 of 2
आदेश संख्या 165/2019 दिनांक 24/01/19
आदेश संख्या 24/01/2019 (2)
श्री सुमि मोरछा स्ट. बल्की/एकेडी
खसवा, जिला एटा
मोबा. 90900

आदेश संख्या 80/UPRC
आदेश संख्या T201910330500856
परिच्छेद 14/3/2019
कृषि उपवास समिति
हरनोई, महोदय

::- निर्णय :-

अस्तुत वाद बाकी महाश्रीवा हरिचन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा
लखिमुठ हरिचन्द्र विद्यापीठ कृषि उपवास समिति द्वारा कृषि उपवास
की ओर है। अस्तुत धारा-80 राजस्व संहिता दिनांक 14/3/2019 को इस
अधिनियम के तहत संस्थित किया गया कि मुकदमा संख्या-180/0-7590 डे
ग्राम गौरकेडा परगना बाली तहसील, संततपुर जिला हरनोई के संख्या 80-
मती कृषि बाकी मती लखिमुठपाल सिंह व लखिमुठ पाल सिंह एतद्वारा
सिद्ध है। बाकी के उपरोक्त मुकदमा को पूर्व प्राप्ति आ कर कृषि-एक विद्या-
पिठ करवा लिया। कृषि-एक के आधार पर बाकी उपरोक्त मुकदमा का संख्या
बाकी है। बाकी के उपरोक्त मुकदमों पर उक्त आदेश से कृषि बाकी न होने
के परती है। उपरोक्त मुकदमा का प्रयोग कृषि, वास्तविकी अथवा पशुपालन,
अथवा पालन, बुजुर्ग पालन आदि के लिए नहीं कर रहा है। बाकी द्वारा उप-
रोक्त वर्तित मुकदमा का प्रयोग कृषि के अर्थ में प्रयोग के लिए होगा, जिसे
अस्तुत विद्यालय आवास आदि के लिए होगा। उक्त कर्षों को प्रेषित करते
हुए मुकदमा संख्या-180/0-7590 डे स्थित ग्राम गौरकेडा को कृषि भूमि
प्राप्ति किये जाने की धारणा की गयी है।

बाकी द्वारा आदेश संख्या 80-27, 325/80 आवास संख्या-2923 पर
दिनांक 14/3/2019 को कमा किया गया तथा आदेश संख्या 80/UPRC
द्वारा उक्त किया गया। लखिमुठ बाकी प्रेषित कर लखीतवार, संततपुर
की आवास दिनांक 14/3/2019 का अस्तुत किया गया। लखीतवार, संतत-
पुर की आवास संख्या, ग्राम गौरकेडा परगना बाली तहसील, संततपुर जिला
हरनोई की वर्तमान बतौनी आवास संख्या-220 आवास संख्या-180/0-7590 डे
को महाराज हरिचन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा कृषि, लखिमुठ विद्या-
पीठ कृषि उपवास समिति द्वारा प्रेषित किया गया है। आधी उपरोक्त भूमि
पर कृषि संस्थान स्थापित करने हेतु इसे अधिक प्राप्ति कराना धारणा है।
उपरोक्त भूमि अनिगरीय क्षेत्र की है तथा राजस्व अर्थशास्त्र से भिन्नी हुई है।
उक्त आदेश संख्या-लखी अधि से परती है तथा अंतर/बाकी के रूप में विद्यापीठ
द्वारा है। वर्तमान समय में एक कमा कर गया है, जिस पर टीन सेट पड़ा है।

उक्त भूमि की अग्रहणकारी का कार्ड अवरुद्ध जारी है। उक्त भू-भाग कृषि कार्य, वागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। उक्त गाटा रीकवा मेर कृषि प्रोजेक्ट कार्ड में लिया जा रहा है तथा निर्धारणार्थी है। अतः में उक्त गाटा रीकवा-180/0, 7590 हे० की अधिक जोड़ित करने हेतु अध्या प्रकृत की गयी है।



खापली का अग्रहण किया गया। खापली पर उपलब्ध आरप कतौनी मू 1425 से 1430 फ० की बाला रीकवा-220 पर जीकित गाटा रीकवा-180/0, 7590 हे० बीकती पुनरानी कुी रवीन्द्रपाल सिंह नि० इकिलगर कालीन क्तौती जिला बीकनगर व बीरेंद्रपाल सिंह कु अकरवस सिंह नि० धिलौती के नाम तर्कभती भूमिपुई है तथा धिवरु कालम मे गाटा रीकवा-180/0 7590 हे० के तीरेंद्रपाल सिंह अकरवस सिंह नि० धिलौती व पुनरानी कती रजिप्रात सिंह नि० इकिलगर कालीन क्तौती का नाम दिरकत का अठारना हरिचन्द्र महाकालम समिति द्वारा सचिव हरिचन्द्र तिबारी कु सक्कात तिबारी नि० अपुर जिला फुंकाकाव का नाम दर्ज होने का अर्थ उकित है। इत अकार उपरोक्त कुकुक पर कृषि कार्य, वागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन न होने के कारण अधिक जोड़ित किये जाने में कोई धिधिक अदन प्रतीत नहीं होती है।

:- आदेश :-

अतः नाम गौरवका परमता पाती तल्लीन, तथा अपुर की कतौनी मू 1425 से 1430 फ० की बाला रीकवा-220 गाटा रीकवा-180/0, 7590 हे० पर जीकित अलेवार अठारना हरिचन्द्र महाकालम समिति द्वारा सचिव हरिचन्द्र तिबारी कु अठार सक्कात तिबारी नि० अपुर जिला फुंकाकाव की भूमि की अधिक भूमि जोड़ित किया जाता है। परमाना अवरुधाय जा हो। आदेश की सब प्रति उप निरूपक, सवाअपुर को बेदी जाये। खापली व अध्या अरवकाती शक्ति अपुर हो।

दिनांक 24 अगस्त, 2019

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left side of the page.

31/8/19
उपरोक्त मान सिंह
24 जिलाधिकारी/अतिरिक्त को० प्रथम
सवाअपुर।

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left corner.

अतिरिक्त जिलाधिकारी
24/8/19
जिलाधिकारी
सवाअपुर



सा.प्र.सं. 5. Page 1 of 2
 164 DOR 24/8/19
 भायनी ग्राम गौरखेडा तहसील
 (सोनभद्र जिला 24/8/19)
 नो.सं. 50/19
 अथवा 80 VPRC
 एड. ई. टी. 2019/10330500856
 दफ्तर न्यायालय रा. न्यायालय
 रा. न्यायालय रा. न्यायालय
 24/8/19

आदेश नम्बर

न्यायालय : जयसिंहपुर
 न्यायालय, जयसिंहपुर, जयसिंहपुर, जयसिंहपुर
 कास संख्या :- 00856/2019
 संख्यासंकेत कास संख्या :- T201910330500856
 न्यायालय जयसिंहपुर महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी अथवा भूमि उपस्थित समिति
 अथवा न्यायालय :- 80, जयसिंहपुर :- उक्त जिला न्यायालय जयसिंहपुर - 2006

न्यायालय न्यायालय न्यायालय

ग्राम गौरखेडा परगना घाली तहसील नवापलपुर की खतौनी सन 1425 से 1430 फुट की खास संख्या 220 गाटा संख्या 180/0.7590 हे० पर अंकित खातेदार महाशय हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व.मनन्दलाल तिवारी निवासी जयसिंहपुर जिला फर्रुखाबाद की भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया जाता बाद अमल वसामद परगना एक प्रति न्यायालय वापस की जाये।

दिनांक - 24/8/19

(उदयमान सिंह)
 उपा जिलाधिकारी / अतिरिक्त न्यायालय न्यायालय
 नवापलपुर।

24/8/19
 24/8/19
 24/8/19

न्यायालय न्यायालय
 24/8/19
 न्यायालय न्यायालय
 नवापलपुर

न्यायालय न्यायालय
 न्यायालय न्यायालय
 नवापलपुर

Page 1 of 2
रा.जा.सं. 151/2019/33/05/00857
बंदखान्ड नं. 14/3/19
महाराज मंत्र गोपाल, ए. वकील
रजिस्ट्रार अदालत, जिला इटावा
आर. 01/UPRC
गड. 15-7/2019/13305/00857
संबंधी बंदखान्ड नं. 14/3/19
संबंधी एक जिला सचिवालय
गड. 15/19



अज्ञेय पत्रिका

सचिवालय : जनकिलासिकारी
सचिवालय : जिला सचिवालय, जिला इटावा, जिला इटावा
पत्रिका संख्या :- 00857/2019

सचिवालय संख्या :- T201910330500857

महाराज इतिहास सचिवालय संख्या :- 151/2019/33/05/00857
जिला सचिवालय संख्या :- 14/3/19
जिला सचिवालय संख्या :- 14/3/19

:::- निर्णय :::-

प्रस्तुत वाद बाबदी महाराज इतिहास महाविद्यालय समिति द्वारा प्रस्तुत इतिहास तिवारी पुत्र नरनाथ निवासी बंदखान्ड जिला जिला इटावा की ओर से अर्जात धारा-80 उ.प्र.राज्य संहिता दिनांक 14/3/2019 को इस अभिप्राय के साथ संस्थित किया गया कि मुकदमा संख्या-205/0-2060 डे. का 1/2 आ. ग्राम गौरखेहा परगना पाली तहसील, बंदखान्डपुर के स्थानीय समिधा श्रीमती राजरानी पत्नी रामजीवर निवासी बंदखान्डपुर थी। उपरोक्त मुकदमा के विजेता के समक्ष आ. का पूर्व प्रतिष्ठा आ. कर विद्यमान आ. निवृत्त वादी द्वारा कराया गया। विद्यमान आ. के आधार पर वादी उपरोक्त मुकदमा पर हस्तक्षेप कर रहा है। वादी के उपरोक्त मुकदमा संख्या-205 का प्रयोग कृषि, वागवानी, मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन आदि के लिए नहीं कर रहा है। उपरोक्त वर्णित मुकदमा का प्रयोग वादी कृषि आ. प्रयोजन के लिए करेगा। जिसके अर्जात विद्यालय आ. आदि संस्थित है, के लिए किया जाएगा। आ. तथ्यों को उचित करते हुए मुकदमा संख्या-205 के 1/2 आ. संख्या 0-1030 डे. स्थित ग्राम गौरखेहा की अधिक कृषि आ. धित किए जाने की योजना की नहीं है।

वादी द्वारा वाद संख्या 80-2, 472/-20 बागान संख्या-3218 पर दिनांक 14/3/2019 को अर्जा खाना किया गया तथा वाद चलाया हुआ है। वादी द्वारा अर्जा किया गया। तत्पश्चात् वाद पंजीकृत कर तहसीलदार, बंदखान्डपुर को अर्जा दिनांक 23/3/2019 को अर्जा खाना किया गया। तहसीलदार, बंदखान्डपुर की अर्जा नुसार, ग्राम गौरखेहा परगना पाली तहसील, बंदखान्डपुर जिला इटावा की वर्तमान धरती काता संख्या-184 पर उचित गा. संख्या-205 संख्या 0-2060 डे. के 1/2 आ. भाग क्षेत्रफल 0-1030 डे. पर महाराज इतिहास महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव इतिहास तिवारी पुत्र नरनाथ निवासी बंदखान्डपुर जिला जिला इटावा का नाम उचित है। उक्त मुकदमा पर विचार का निर्णय कार्य चल रहा है। उक्त आ. कर हाथों के रूप में है। उक्त गा. संख्या कृषि आ., वागवानी, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त गा. संख्या पर कृषि प्रयोजन आ. में किया




सचिवालय
1/3/19

Handwritten signature

जा रहा है तथा निर्माणाधीन है। जल में गाटा संख्या-205मि/0. 1030 हे० की अतिरिक्त घोषित किये जाने की आवश्यकता प्रस्तुत की गयी है।

फावली का जलबीजन किया गया। फावली पर उपलब्ध उपर्युक्त बतौनी सन् 1425 से 1430 फ० की सात संख्या-186 पर अंकित गाटा संख्या-205मि/0. 2060 हे० राकेन्द्र कुमार व राकेन्द्र कुमार फुलम नत्थुगत तथा राजरानी पत्नी रामसकर के नाम सं०मु० के रूप में वर्ष है तथा क्विटर काल में गाटा संख्या-205मि/0. 2060 हे० के क्विती राजरानी पत्नी रामसकर का नाम निरस्त कर महाराजा हरिचन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिचन्द्र तिवारी का नाम अरिरे केनामा वर्ष होने का आदेश अंकित है। उक्त गाटा संख्या-205मि के तद्वत्ता तैयार, राकेन्द्रकुमार व राकेन्द्र कुमार फुलम नत्थुगत द्वारा अपन-फन प्रस्तुत कर भरा गया है कि गाटा संख्या-205मि/0. 1030 हे० को महाराजा हरिचन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिचन्द्र तिवारी के फा में अतिरिक्त घोषित किये जाने में हम सहवालेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उपरोक्त भूखण्ड के 1/2 भाग को अतिरिक्त घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।



:- आदेश :-

अतः ग्राम गौरकेड़ा परगना फावली सहनीम, सवायवपुर जिला हवोई की बतौनी सन् 1425 से 1430 फ० की सात संख्या-186 गाटा संख्या-205मि/0. 2060 हे० के 1/2 भाग संख्या 0. 1030 हे० पर अंकित बालेदार महाराजा हरिचन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सचिव हरिचन्द्र तिवारी एवं नन्दतान तिवारी निवासी बपुर जिला फर्रुखाबाद की मुमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमानदराभव जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निम्नलिखित, सवायवपुर को भेजी जाये। फावली का उपलब्ध कार्यवाही वाकिल दफ्तर हो।

दिनांक: 4 जून, 2019

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name 'अ. अ. अ.' and a date stamp '02/06/19'.

Handwritten signature and date '04/06/19' followed by the typed text: 'उप जिला पिणारी/असि० जौहटार प्रथम थो, सवायवपुर ।'

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom left, including the name 'अ. अ. अ.' and a date stamp '03/06/19'.

Handwritten signature and date '04/06/19' followed by the typed text: 'अतिरिक्त घोषित' and 'अ. अ. अ.'.



अदालत का पत्र

न्यायालय : जयपिलाधिकारी
 न्यायालय, नवाब दरगह, तहसील सवायजपुर
 पत्र संख्या :- 00857/2019
 कंप्यूटरीकृत काग संख्या :- T201910930500857
 महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सविध हरिश्चन्द्र तिवारी बनाम भूमि उपकरण समिति
 धारा- 80, अधिनियम :- जल उपकरण अधिनियम - 2006

पृष्ठ 02 UPRI
 पृष्ठ 02 UPRI
 पृष्ठ 02 UPRI

परवाना अमल दरामद

ग्राम गौरखौडा परगना पानी तहसील सवायजपुर की खतीनी सन 1425 से 1430 फ0 की खाता संख्या 186 गाटा संख्या 205मि0/0.2060 हे0 के 1/2 भाग रकबा 0.1030 हे0 पर अकित खातेदार महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति द्वारा सविध हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 नन्दलाल तिवारी नि0 बड़पुर जिला फर्रुखाबाद की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। वाद अमल दरामद परवाना एक प्रति न्यायालय वापस की जाये।

दिनांक-
 04/11/19
 04/11/19
 04/11/19
 04/11/19

04/11/19
 (उदयमान सिंह)
 उप जिलाधिकारी / अतिरिक्त अध्यायक अंणी
 सवायजपुर।

04/11/19

04/11/19
 04/11/19
 04/11/19

04/11/19
 04/11/19
 04/11/19

04/11/19

